# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 07/2020
GCMS Case Reg. 2020/00005

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)। –प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपुत निवासी सुरजपोल, बॉसवाडा।
2. श्री जितेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपुत निवासी सुरजपोल बॉसवाडा।
3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपुत निवासी सुरजपोल बॉसवाडा।
4. श्री जिवेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपुत निवासी सुरजपोल बॉसवाडा।
5. श्री धनन्जय सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपुत निवासी सुरजपोल बॉसवाडा।
6. श्री हरेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपुत निवासी सुरजपोल बॉसवाडा।
7. श्री जयवीर सिंह पिता भरतेन्द्र सिंह निवासी सुरजपोल गेट के बाहर बॉसवाडा।
8. श्री सुर्यदीप सिंह पिता भरतेन्द्र सिंह निवासी सुरजपोल गेट के बाहर बॉसवाडा।
9. श्री दीपराज सिंह पिता भरतेन्द्र सिंह निवासी सुरजपोल गेट के बाहर बॉसवाडा।
10. श्रीमती जनक कुंवर बेवा भरतेन्द्र सिंह निवासी सुरजपोल गेट के बाहर बॉसवाडा।

–प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

उपस्थित – 1. श्री भूपेन्द्र जैन राजकीय अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांक :– 23.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा के खसरा संख्या 774 रकबा 5.07 बिघा किस्म भूमि गैर मुमकीन नदी सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 2824/774 रकबा 2.05 बिघा भूमि किस्म नदी अप्रार्थीगण श्री राजेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह, श्री भरतेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह, श्री पुष्पेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह, श्री



Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिवेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह, श्री धनन्जय सिंह पिता पर्वत सिंह व श्री हरेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह के नाम दर्ज किया रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट गैर मुमकीन नदी श्रीसरकार दर्ज है, जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकार व उक्त भूमि से उद्भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1530/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक 15.08.1947 में दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम बॉसवाडा पटवार बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 2824/774 रकबा 2.05 बिघा किस्म भूमि नदी से अप्रार्थीगणो के खातेदारी अधिकार निरस्त करने एवं वापस गैर मुमकीन नदी राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को दिनांक 08.01.2020, 28.02.2020, 15.06.2020, 15.07.2020, 21.08.2020 को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी सं.1 का नोटिस चस्पानगी से, अप्रार्थी सं.5 व 6 के नोटिस बाद तामील तथा समस्त अप्रार्थीगण एक ही परिवार से होने से अप्रार्थी सं. 3,4,7 के नोटिस तामील माने गये। अप्रार्थी सं.2 श्री भारतेन्द्र सिंह पिता पर्वत सिंह की मृत्यु हो जाने से दिनांक 26.10.2020 से तहसीलदार बॉसवाडा से



Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कायम वारिसान बाबत् प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उनके वारिसान के नाम पत्रावली पर दर्ज कर सम्मन जारी किये गये। वारिसान के नाम जारी सम्मन सम्बन्धित द्वारा लेने से इन्कार करने के कारण घरमानगी रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त अप्रार्थीगण लगातार अनुपस्थित रहे है। अतः सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दिनाक 23.12.2020 को एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि सेटलमेंट खतौनी सवत् 1997 तहसील बांसवाडा के राजस्व ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा के खसरा सख्या 774 रकबा 5.07 बिघा किस्म भूमि गैर मुमकीन नदी सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा न. 2824/774 रकबा 2.05 बिघा भूमि किस्म नदी अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट भी गैर मुमकीन नदी श्रीसरकार दर्ज थी। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय मे आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण मे उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकार व उक्त भूमि से उदभूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है। अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस किया जावे।

## आदेश

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया एव एकपक्षीय बहस पर मनन किया। ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा सेटलमेंट खतौनी सवत 1997 वाके ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 774 रकबा 5.07 बिघा भूमि किस्म नदी श्रीसरकार दर्ज है। जमाबदी सवत 2070–73 मे आराजी नंबर 2824/774 रकबा 2.05 बिघा किस्म नदी अप्रार्थीगणो के नाम के नाम दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेंट खतौनी सवत् 1997 अनुसार भूमि की [illegible] से ही किस्म

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

नदी दर्ज है, जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। जिस कारण ग्राम बॉसवाड़ा पटवार मण्डल बॉसवाड़ा तहसील व जिला बॉसवाड़ा के आराजी नंबर 2824/774 रकबा 2.05 हैक्टेयर किस्म नदी अप्रार्थीगणो के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस गैर मुमकिन नदी दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाता है। अप्रार्थीगणो को इस आशय के साथ सम्मन जारी किया जावे कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वयं/अप्रार्थी दिनांक 24.03.2021 को अपना प्रत्युत्तर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.24 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested